

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। | 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। |
| 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश। | 4- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। |
| 5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। | 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। |

राजस्व अनुभाग- 4

लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2017

विषय : 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के माध्यम से दिव्यांग जन की समस्याओं के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1/2017/962/एक-4-2017-111बी-/2012 दिनांक 21-07-2017 के माध्यम से जन समस्याओं के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण न हो पाने के कारण तहसील दिवस के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किया गया था, परन्तु उक्त शासनादेश में दिव्यांग जन की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है।

2- अतः उपर्युक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के अवसर पर जनसामान्य को एवं विशेष रूप से दिव्यांग जनों को और दिव्यांग जनों के हित में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के हितार्थ जो योजनायें संचालित हैं, उनकी जानकारी दी जायेगी तथा दिव्यांग जनों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निराकरण कराया जायेगा। कृपया तदनुसार प्रकरण में अद्योत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या-13/2017/1729(1)/एक-4-2017 दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- स्टाप आफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त /आवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (राजस्व), उ0प्र0 शासन।
- 5- राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग/दिव्यांगजन विकास अनुभाग-2/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।